MP Forest Department

कार्यालय सामान्य, वन मंडल छतरपुर म. प्र.

जवाहर रोड, छतरपुर (म.प्र.) 471001 ☎ 07682-245316 (O.), 245316 (Fax)

E-mail: dfotchtpur@mp.gov.in

क्रमांक/तकनीकी/2024/1121 छतरपुर, दिनांक 28-8-24

प्रति,

मुख्य वन संरक्षक,
छतरपुर वृत्त छतरपुर

विषय :– छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज –पवई–कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0 प्र0 सड़क विकास निगम, सागर को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल का पत्र क्रमांक/एफ–5/865/2019/10–11/4250 दिनांक 08.08.2024

——00——

विषयान्तर्गत निवेदन है कि संदर्भित पत्र से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल द्वारा छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–43 एक्सटेंशन गुलगंज–अमानगंज –पवई–कटनी मार्ग के चौड़ीकरण/निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में वांछित बिन्दुओं पर जानकारी तैयारकर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु लेख किया गया है, जो कि निम्नानुसार है :–

1. वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर का प्रमाण–पत्र अपलोड कर हॉर्डकॉपी संलग्न है।
2. वनमंडल छतरपुर द्वारा पूर्व में सम्प्रेषित प्रस्ताव अंतर्गत आवेदित व्यपवर्तन हेतु 30.426 हेक्टेयर क्षेत्र में से परिक्षेत्र बड़ामलहरा अंतर्गत आने वाले 2.030 हेक्टेयर वनभूमि, RF-71 से गुजरने वाले मार्ग का विवरण आवेदक संस्थान द्वारा फार्म–। में गुलगंज के नाम से लेख किया गया है। उक्त बिन्दु की जानकारी पूर्व में कार्यालयीन पत्र क्रमांक/813 दिनांक 01.06.2023 द्वारा सम्प्रेषित की जा चुकी है तथा उक्त बिन्दु की जानकारी पुनः संलग्न कर सम्प्रेषित है।
3. वन संरक्षक, मध्य वृत्त जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक/5223 दिनांक 06.08.2024 से क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वनमंडल कटनी अंतर्गत ग्राम बड़वार तहसील बड़वार जिला कटनी अंतर्गत प्रदाय राजस्व भूमि खसरा क्रमांक 133 रकवा 90.800 हेक्टेयर में से 31.900 हेक्टेयर बड़े झाड़ के जंगल मद की जमीन की तकनीकी स्वीकृति जारी कर ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

सचिव, म0 प्र0 शासन वन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ–5/11/06/10–3/2105 दिनांक 03 जुलाई 2008 से समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकरण में यदि **"समतुल्य राजस्व भूमि अनुपलब्ध होने की स्थिति में प्रथमतः आपके द्वारा दोगुने छोटे–बड़े झाड़ का जंगल मद की राजस्व वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण हेतु वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय) को उपलब्ध करवाई जाएगी।"**

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल छतरपुर

पृष्ठां. क्रमांक/तकनीकी/2024/1122 छतरपुर, दिनांक 28-8-24

प्रतिलिपि :–
1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वन संरक्षक, मध्यवृत्त जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सम्प्रेषित।
3. वनमंडलाधिकारी, वनमंडल कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

वन मण्डलाधिकारी
सा. वन मण्डल छतरपुर

Scanned with CamScanner

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001

आदेश

क्रमांक / व्यय / मा0चि0 57 जबलपुर दिनांक 6 / 8 / 2024

पन्ना जिले में टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण हेतु 30.426 हे0 वनभूमि हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–5 / 1215 / 2023 / 10–11 / 3315 दि0 24.06.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी द्वारा पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 से बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । उक्त योजना की निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी जो निरस्त की जाती है :–

परियोजना	तकनीकी स्वीकृति क्र0 क्र0 व दि0	परिक्षेत्र	खसरा क्र0	ग्राम	रकबा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रू0 में)
राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण	54 31.07.2024	[illegible]	132/2	[illegible]	31.00	2024–25 से 2034–35	1,23,47,1 79.00

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

क्रमांक / व्यय / मा0चि0 58 जबलपुर दिनांक 6 / 8 / 2024

प्रकरण में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 / एफ–5 / 865 / 2019 / 10–11 / 4165 दिनांक 5.04.2024 में लेख किया गया है कि उक्त तकनीकी स्वीकृति में मुद्रण त्रुटिवश प्रकरण का विषय "पन्ना जिले में टाईगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण" मुद्रण होने के कारण उक्त तकनीकी स्वीकृति निरस्त कर पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाना है । अतः छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण" हेतु 30.426 हे0 वनभूमि हेतु लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, सागर द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 एफ–5 / 1215 / 2023 / 10–11 / 3315 दि0 24.06.2024 के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, कटनी द्वारा पत्र क्रमांक / मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 से बड़े झाड़ के जंगल मद की राजस्व भूमि में 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है । प्राप्त योजना का प्राक्कलन का परीक्षण करने तथा वनमण्डलाधिकारी सा0 कटनी द्वारा की गयी अनुशंसा उपरांत म0प्र0 शासन, वित्त विभाग के पत्र क्र0 / 1184 / 191 / 2022 / नियम / 4 / दि0 14.07.2022 के माध्यम से [illegible] पुस्तक प्रावधानित वित्तीय [illegible] भाग–2 के

अंतर्गत अनु0 क्रमांक 20 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नानुसार तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती हैं :-

परियोजना	परिक्षेत्र	खसरा क्र0	ग्राम	रकबा (हे0 में)	अवधि	अनुमानित राशि (रू0 में)
जिला छतरपुर के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 गुलगंज–अमानगंज–पवई–कटनी मार्ग के विस्तार / चौड़ीकरण	बक्स्वाहा	132 / 2	बजरंगकला	31.90	2024–25 से 2034–35	1,23,47,179.00

उक्त तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन हैं :-

(1) इस कार्य की उपयोगिता प्राक्कलन अनुसार कार्य के लिये है । यदि प्रस्तावों मे कोई परिवर्तन स्थानीय परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो तो अनुमोदन उपरांत कराएं। इस स्वीकृति के अधीन उक्त कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने पर प्राप्त राशि के अंतर्गत ही व्यय करेंगे, केवल तकनीकी स्वीकृति के आधार पर कार्य प्रारंभ न कराया जावे ।

(2) कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदण्डों के अनुसार कराया जावे । स्थल किसी योजना के कार्य हेतु ओवरलेप न हो ध्यान रखा जाये इसकी जवाबदारी वनमण्डलाधिकारी की रहेगी। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

(3) कोई भी सामग्री क्रय करते समय मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 का पालन करेंगे।

(4) किसी भी प्रकार के परिवर्तन स्थल/प्रोजेक्ट में उल्लेखित कार्यो के परिवर्तन की दशा में पुनरीक्षित तकनीकी जारी करायेंगे ।

(5) कार्य प्रारंभ के पूर्व विस्तृत कार्यवार स्थल अनुरूप डी0पी0आर0 तैयार कर कार्य प्रारंभ करायेंगे । उक्त निर्देशों के अभाव में तकनीकी स्वीकृति स्वयं निरस्त मानी जावेगी।

(कमल अरोरा, भा0व0से0)
वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

पृ.क्र./मा.चि./5221 जबलपुर दिनांक 6/8/2024

प्रतिलिपि :- 1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) म0 प्र0 की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पत्र क्र0 एफ–5/ 865/ 2019/10–11/4165 दि0 5.08.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ संप्रेषित।

3 वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, कटनी की ओर आपके पत्र क्र0/मा0चि0 / 5303 दिनांक 29.07.2024 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर

Scanned with CamScanner

FORM -I

(For projects linear projects)

Government of M.P.

Office of the District Collector, Chhatarpur

/FRA/Tribal/2022-23 No\ [illegible] Chhatarpur Date [illegible]

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF) Government of India's letter No.11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted For Non Forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that total area 30.426 hec. Hectares in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 Forest Land and in favour of MPPWD Sagar (MP) for a part of Gulganj-Amanganj-Pawai-Katni Road NH-43 Ext.Details are given below

It is further certified that :

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 30.426 in Compartment No P-71,321,322,323,347,370,3-69,374,368,371,373,428,429,427,432 of forest land A copy of records of all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as Annexure --to-- Annexure.

(b) The diversion of forest land and Revenue forest for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Collector

District Chhatarpur

जिला छतरपुर (म. प्र.)

Encl: As above

कार्यालय वनपरिक्षेत्राधिकारी (सा.)वनपरिक्षेत्र बड़ामलहरा

एन.एच. 86 छतरपुर सागर रोड बड़ामलहरा

E - mail Id - RObadamalehra7@gmail.com mo no. – 9424791094

क्रमांक / मा0चि0व / 2023 / 619 बड़ामलहरा, दिनांक 11/04/2023

प्रति

श्रीमान् वनमण्डलाधिकारी महोदय
सा0 वनमण्डल छतरपुर (म0प्र0)

बिषयः– छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज– अमानगंज पवई–कटनी मार्ग के चौडीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने बावत्।

सन्दर्भः– आपका पत्र क्र. / मा.चि. / 2023 / 727 दिनांक 06.02.2023

–––00–––

महोदय्

विषयांकित में निवेदन है कि सन्दर्भित पत्र से छतरपुर जिले में प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एक्सटेंशन गुलगंज– अमानगंज पवई–कटनी मार्ग के चौडीकरण / निर्माण हेतु 30.426 हेक्टेयर वनभूमि म0प्र0 सडक विकास निगम सागर को उपयोग पर देने के संबंध में परिक्षेत्र सहायक गुलगंज से जांच कराई गई, बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्नानुसार है :–

1. आवेदित क्षेत्र वनखण्ड गुलगंज अ के अंतर्गत आता है एवं मौके पर मिश्रित प्रजाति का आरक्षित वन है तथा 0.3 का घनत्व पाया गया।
2. मौका स्थल की प्रारम्भिक बिन्दु N 24° 40' 52.25" E 79° 21' 51.05" मध्य बिन्दु N 24° 40' 52.93" E 79° 21' 57.25" अंतिम बिन्दु N 24° 40' 54.05" E 79° 22' 02.42" जी.पी.एस. रीडिंग पाई गई।
3. मौके पर सतकठा एवं सागौन प्रजाति कुल 237 वृक्ष पाये गये।
4. मौके पर पहाड़ी क्षेत्र है।
5. क्षेत्र पर दुर्लभ प्रजाति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल एवं कोई धार्मिक स्थल नही है।
6. क्षेत्र पर किसी भी वन्यप्राणी का रहवास स्थल नही पाया गया।
7. पर्यावरण भू–संरक्षण पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा।
8. मौका स्थल से पन्ना टाइगर रिजर्व लगभग 80 कि.मी. दूरी पर है।
9. मौका स्थल पर कोई वनमार्ग रास्ता नही है।

प्रतिवेदन श्रीमान् की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

वनपरिक्षेत्राधिकारी
वनपरिक्षेत्र बडामलहरा

आवक क्र. 2175
दिनांक 17/04/23
वन मण्डल छतरपुर

मा0 चि0

D-F-O-Chhatarpur
13/4/23

Scanned with CamScanner